राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2519/2024

आकांशा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासनिक), लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, सिविल लाइन्स, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.07.2019
आदेश की दिनांक : 02.12.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री नीरज कुमार यादव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 03.07.2015 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा–धारक (सिविल) के पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा–धारक (सिविल) के पद पर बहुत मेहनत से अपनी सेवा दे रही है। (अनुलग्नक–2) जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा–धारक (सिविल) के रूप में शामिल होने से पहले, अपीलार्थी ने दिसंबर 2013 में एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इसके बाद AMIE के रूप में संदर्भित) में सिविल इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स के लिए भी नामांकन कराया था। साथ ही दिनांक 03.07.2015 को जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा–धारक (सिविल) के रूप में शामिल होने से पहले अपीलार्थी ने दिनांक 20.03.2015 को सेक्शन–ए परीक्षा की शीतकालीन –2014 अवधि पहले ही उत्तीर्ण कर ली थी। दिनांक 03.07.2015 को जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 04.10.2016 के अनुमति पत्र के माध्यम से सेक्सन–बी परीक्षा जारी रखने तथा उसे पूरा करने की अनुमति मांगी। (अनुलग्नक–3) इसके बाद अपीलार्थी ने दिनांक 18.03.2016 को सेक्शन–बी की शीतकालीन–2015 परीक्षा और दिनांक 18.03.2016 को सेक्शन–बी की

ग्रीष्मकालीन–2016 परीक्षा उत्तीर्ण की। दिनांक 03.10.2016 को AMIE से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है। (अनुलग्नक–4) तत्पश्चात राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967 (अपीलार्थी की सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियम) के खंड 6(2)(4) के प्रावधान के अनुसार अपीलार्थी ने दिनांक 21.08.2023 को AMIE प्राप्त करने के आधार पर सीधी भर्ती के कोटे के विरुद्ध स्थानांतरण के माध्यम से जूनियर इंजीनियर (डिग्री धारक) के रूप में नियुक्ति और जूनियर इंजीनियर (डिग्री धारक) की वरिष्ठता सूची में डिग्री जोड़ने के लिए अपना अभ्यावेदन/शिकायत/अनुरोध प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया, जो दिनांक 28.08.2023 को विधिवत प्राप्त हुआ। (अनुलग्नक–5) दिनांक 21.08.2023 के अभ्यावेदन के विरुद्ध प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया और जूनियर इंजीनियर (डिग्री धारक) के रूप में नियुक्ति के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और जूनियर इंजीनियर (डिग्री धारक) की वरिष्ठता सूची में दिनांक 17.10.2023 के आपत्तिजनक आदेश के माध्यम से AMIE की प्राप्ति के आधार पर सीधी भर्ती के कोटे के विरुद्ध स्थानांतरण डिग्री जोड़ने से इनकार कर दिया। आदेश के माध्यम से अभ्यावेदन को अस्वीकार करना राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967 के खंड 6(2) (4) का पूर्ण उल्लंघन है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के दिनांक 17.10.2023 के आदेश से व्यथित होकर, विनम्र अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 18.10.2023 को प्रत्यर्थी विभाग को न्याय की मांग नोटिस भेजा, साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को भी शामिल किया, जिसमें उन्हें अवगत कराया गया कि यह मुद्दा माननीय न्यायालयों द्वारा पहले ही इसका निपटारा कर दिया गया है। (अनुलग्नक–7) प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 18.10.2023 के न्याय की मांग नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और अब तक, न तो AMIE की प्राप्ति के आधार पर सीधी भर्ती के कोटे के खिलाफ स्थानांतरण के माध्यम से जूनियर इंजीनियर (डिप्लोमा धारक) से जूनियर इंजीनियर (डिग्री धारक) के रूप में अपीलार्थी को नियुक्त करने के लिए कोई कदम उठाया गया है और न ही जूनियर इंजीनियर (डिग्री धारक) की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी की डिग्री को जोड़ने के लिए कोई कदम उठाया गया है। AMIE की प्राप्ति के आधार पर सीधी भर्ती के कोटे के विरुद्ध स्थानांतरण के माध्यम से जूनियर इंजीनियर (डिप्लोमा धारक) से जूनियर इंजीनियर (डिग्री धारक) के पद पर अपीलार्थी की नियुक्ति जूनियर इंजीनियर (डिग्री धारक) की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी की डिग्री को जोड़ने और कानून के अनुसार उसकी पदोन्नति के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग की कार्रवाई/निष्क्रियता से व्यथित होकर अपीलार्थी ने आकांक्षा कुमारी गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य शीर्षक से एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 6876/2024 दायर की। दिनांक 01.05.2024 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष मामला सूचीबद्ध किया गया था। माननीय न्यायालय ने दिनांक 30.07.2024 को मामले

की विस्तृत सुनवाई की तथा मामले में अपीलार्थी को वैधानिक उपचार अपील का लाभ उठाने की स्वतंत्रता प्रदान की। (अनुलग्नक–8)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि सीधी भर्ती के कोटे के विरुद्ध स्थानांतरण द्वारा अपीलार्थी को जूनियर इंजीनियर (डिप्लोमा धारक) से जूनियर इंजीनियर (डिग्री धारक) के पद पर नियुक्त किया जावे। तथा अपीलार्थी की AMIE डिग्री को जोड़ा जावे एवं अपीलार्थी नाम जूनियर इंजीनियर (डिग्री धारक) की अंतिम वरिष्ठता सूची में शामिल किया जावे। साथ ही अपीलार्थी को डिग्री पूरी होने के बाद से अर्थात 2017 से सभी परिणामी लाभों के साथ अगले उच्च पद पर पदोन्नति दिलायी जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने से पूर्व अपीलार्थी को संबंधित प्राधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों में अपीलीय अधिकरण) अधिनियम 1976 क धारा 4 (अ) के अंतर्गत अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिए था एवं उक्त अभ्यावेदन के निस्तारण के उपरान्त ही माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी परन्तु अपीलार्थी ने उपरोक्त प्रावधानों की पालना किये बिना सीधे ही माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि आदेशों के संदर्भ में न्यायालय के हस्तक्षेप की शक्तियां सिमित है, केवल दुर्भावना, मनमाना एवं नियमों के विपरीत आदेशों में ही हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। विभाग द्वारा आयोजित कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2014 में अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपनी शैक्षणिक योग्यता (सिविल–डिप्लोमा) के आधार पर कनिष्ठ अभियंता सिविल (डिप्लोमाधारी) के पद के विरूद्ध आवेदन किया गया, जिसमें अपीलार्थी का चयन होने के फलस्वरूप उपरोक्त आवेदित पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 24.06.2015 को नियुक्ति आदेश प्रसारित किये गये। अपीलार्थी ने दिनांक 03.07.2015 को विभाग में पदभार ग्रहण किया। अपीलार्थी द्वारा विभाग में पदभार ग्रहण करने से पूर्व AMIE सेक्सन–ए वर्ष 2015 में उत्तीर्ण किया हुआ था, विभाग में आने के बाद अपीलार्थी ने उच्च अध्ययन की स्वीकृति लिये बिना वर्ष 2017 में AMIE सेक्सन–बी का अध्ययन The Institution of Engineers (India) Kolkata की संस्थान से पत्राचार से पूर्ण किया। दूरस्थ शिक्षण पद्धति (पत्राचार/प्राईवेट) माध्यम से किये गये उच्च अध्ययन (डिग्री) के संबंध में प्रशासनिक विभाग के मार्फत तकनीकी शिक्षा विभाग से प्राप्त राय निम्नानुसार है:–

''मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र दिनांक 10.06.2015 के अनुसार किसी विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षण पद्धति द्वारा तकनीकी शिक्षा के जारी डिप्लोमा/डिग्रीयां का राज्य सरकार के अन्तर्गत पदों और सेवाओं के लिए विचारणीयता के क्रम में लेख है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा

अनुमोदित विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी शिक्षा में दूरस्थ पाठ्यक्रम हेतु AICTE से मान्यता प्राप्त किया जाना अनिवार्य है तथा AICTE द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम के क्रम में स्पष्ट किया है किः–

"It has been the policy of the AICTE, not to recognize the qualifications acquired though distance education mode at Diploma, Bachelors & Master's level in the fields of Engineering, Technology including Architecture, Town Planning, Pharmacy, Hotel Management-Catering Technology, Applied Art & Crafts and Post Graduate Diploma in Management (PGDM). AICTE only recognize MBA and MCA programme through distance mode. In light of the above, B.Tech. degrees acquired through distance education from any University/Deemed University are not approved by AICTE."

इस प्रकार तकनीकी शिक्षा विभाग की राय अनुसार पत्राचार माध्यम से की गयी अभियांत्रिकी डिप्लोमाधडिग्रियां विचारणीय नहीं है। (अनुलग्नक–आर/1) अपीलार्थी ने विभाग में पदभार ग्रहण करने के पश्चात् उच्च अध्ययन (डिग्री) करने की सक्षम स्वीकृति या अनुमति लिये बिना ही वर्ष 2017 में AMIE Sec-B का अध्ययन पूर्ण किया है, इस संबंध में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.11.2006 में स्पष्ट प्रावधान उल्लेखित है कि :–

- प्रत्येक वर्ष के लिए अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
- विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। यदि कार्मिक अध्ययन की शर्तों का उल्लंघन करते है तो उनके द्वारा धारित की गई डिग्री/प्रमाण–पत्र को अभिलेख पर नही लिया जायेगा।

इस प्रकार उपरोक्त दिशा–निर्देश एवं परिपत्र दिनांक 18.11.2006 के उल्लंघन स्वरूप अपीलार्थी द्वारा बिना अनुमति के अर्जित AMIE की योग्यता नियमानुसार विचारणीय नही है। अपीलार्थी का चयन उसके कथनानुसार आरपीएससी के माध्यम से नही हुआ है, अपितु वर्ष 2014 विभाग के द्वारा आयोजित कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा–2014 के तहत हुआ है। अपीलार्थी द्वारा AMIE Sec-B के उच्च अध्ययन की अनुमति हेतु दिनांक 04.10.2016 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तकनीकी शिक्षा विभाग से प्राप्त राय जिसके तहत पत्राचार/प्राईवेट माध्यम से अर्जित डिग्री को विचारणीय नही माना गया था, के परिप्रेक्ष्य में विचार में नहीं किया जा सका। अपीलार्थी द्वारा विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना पत्राचार माध्यम से AMIE (डिग्री समकक्ष) की योग्यता अर्जित की गई है। अतः कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.11.2006 के अनुसार स्पष्ट है कि विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। यदि कार्मिक अध्ययन की शर्तों का उल्लंघन करते है तो उनके द्वारा धारित की गई डिग्री/प्रमाण–पत्र को अभिलेख पर नही लिया

जायेगा। अपीलार्थी के अभ्यावेदन दिनांक 28.08.2023 के क्रम में पत्र दिनांक 17.10.2023 द्वारा (बिन्दु 1 के अनुसार) रिप्लाई देकर अपीलार्थी को सूचित किया गया है। सम्बन्धित सेवा नियम राजस्थान इंजीनियरिंग सर्बोडिनेट सर्विस (पब्लिक हैल्थ ब्रांच) नियम, 1967 के नियम 6(4) अनुसार डिग्रीधारियों में शामिल किये जाने के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान उल्लेखनीय है :–

"If a Diploma Holder Junior Engineer attains the qualification of B.E. (Civil/Mechanical/Electrical), or AMIE, he shall be entitled on his application and subject to availability of vacancy, to be appointed as Junior Engineer (Degree Holder) by transfer against the quota of direct recruitment but in that case his seniority amongst the Junior Engineers (Degree Holder) shall be determined from the date of occurrence of vacancy against which such Junior Engineer (Degree Holder) and one third of his previous experience shall be counted as experience on the post of Junior Engineer for the purpose of promotion to the next higher post- "

अपीलार्थी द्वारा विभाग में आने के बाद बिना सक्षम अनुमति या स्वीकृति लिये डिग्री का अध्ययन पूर्ण किया गया है एवं धारित की गई डिग्री नियमानुसार विचारणीय नहीं है। अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

हमने प्रत्यर्थी विभाग को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में उसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग में सेवारत में रहने के दौरान धारित की गई डिग्री के आधार पर कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारी के स्थान पर कनिष्ठ अभियंता सिविल (डिग्री धारी) के कोटे में स्थानान्तरण करने एवं उसकी एएमआईई की डिग्री को जोड़ने एवं उसके आधार पर कनिष्ठ अभियंता डिग्री धारी की वरिष्ठ सूची में नाम शामिल करने एवं उच्च पद पर पदोन्नति प्रदान के संबंध में अनुतोष चाहा है।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 17.02.2023 में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलार्थी ने बिना विभागीय स्वीकृति के वर्ष 2017 में एएमआईई सेक्सन–बी का अध्ययन पूर्ण किया है, जो विभागीय नियम और कार्मिक विभाग के परिपत्र का उल्लघंन है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा अर्जित की गई एएमआईई की डिग्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र दिनांक 10.06.2015 और एआईसीटीई द्वारा जारी आदेश के तहत मान्य नहीं है क्योंकि उत्तीर्ण डिग्री पत्राचार के माध्यम से अर्जित की गई है। एआईसीटीई द्वारा पत्राचार के माध्यम से मात्र एमबीए और एमसीए की डिग्री ही मान्य है। अतः अपील की अपील खारिज करने का प्रत्यर्थी विभाग ने निवेदन किया है।

संबंधित विभाग के सेवा नियमों में यह स्पष्ट है कि यदि कोई कार्मिक सेवा में रहने के दौरान डिग्री अर्जित करता है तो राजस्थान इंजीनियरिंग सर्बोडिनेट सर्विस (पब्लिक हेल्थ ब्रांच) नियम 1967 के नियम 6(2) (4) के तहत आवेदन कर कनिष्ठ

अभियंता (डिप्लोमा धारी) से कनिष्ठ अभियंता (डिग्री धारी) सीधी नियुक्ति के कोटे में परिवर्तिन करा सकता है और अपीलार्थी को उसके न्यायिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय सरकार द्वारा जारी राजपत्र दिनांक 10.06.2015 एंव एआईसीटीई द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम के संबंध में जारी निर्देशों की प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की है, जिसके अभाव में यह विचार किया जाना संभव नहीं है कि क्या यह आदेश अपीलार्थी के प्रकरण में लागू होगे अथवा नहीं, क्योंकि अपीलार्थी ने राजकीय सेवा में आने से पहले ही दिसम्बर 2013 में एएमआईई में नामाकंन करा लिया था और भारत सरकार की अधिसूचना जारी होने के समय वह अध्ययनरत थी। अतः इस प्रकरण में हम यह उचित समझते है कि अपीलार्थी एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को 2 सप्ताह में प्रस्तुत करे, जिसमें समस्त दस्तावेज और कानूनी प्रावधान संलग्न किए जावे और प्रत्यर्थी विभाग ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त कर समस्त विधिक पहलूओं और प्रावधानों पर समूचित रूप से विचार कर 4 सप्ताह में अपीलार्थी के अभ्यावेदन को सम्यक रूप से आख्यात्मक आदेश द्वारा निस्तारित करे और इसकी समूचित सूचना अपीलार्थी को प्रदान की जावे।

उक्तानुसार अपील अपीलार्थी मय समस्त लम्बित प्रार्थना–पत्रों को निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)